न्यायालय : - उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखीमपुर खीरी , तहसील :मितौली
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202210432807 2203
वाद संख्या:- 2203/2022
सौरभ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 02/07/2022

निर्णय

प्रस्तुत वाद सौरभ सिंह पुत्र जुगुल किशोर निवासी चुरईपुरवा म0 भिरावाग्रन्ट परगना औरंगाबाद हाल पता मो0 शिवकालोनी शहर व जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा धारा-80(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत योजित कर कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि स्थित ग्राम खानपुरग्रन्ट परगना औरंगाबाद की गाटा संख्या-1146/0.283हे0, 1149/0.324हे0, 1143/0.094हे0, 1151/0.190हे0 में से 0.095हे0 व 1134/0.092हे0 में से 0.046हे0 कुल रकबा 0.842हे0 पर प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है, जिसे व्यवसायिक प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित करने की याचना की है। साक्ष्य के रूप में खतौनी वर्ष 1426-31फ0 खाता संख्या-257, 469, 96, 467, 406 व सर्किल रेट की एक प्रतिशत कोर्ट फीस व शुल्क चालान तथा प्रार्थी व सहखातेदरों के शपथपत्र दाखिल किया है। वाद दर्ज कर तहसीलदार मितौली से आख्या मंगायी गयी, जो संलग्न पत्रावली है।

तहसीलदार मितौली की आख्या दिनॉक 02.07.2022 में उल्लेख किया गया है कि भूमि स्थित ग्राम खानपुग्रन्ट परगना औरंगाबाद की गाटा संख्या-1146/0.283हे0, 1149/0.324हे0, 1143/0.094हे0, 1151/0.190हे0 में से 0.095हे0 व 1134/0.092हे0 में से 0.046हे0 कुल रकबा 0.842हे0 पर प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमि दर्ज कागजात है। उक्त प्रस्तावित भूमि गाटा संख्याओं को लीज डीड पर 29वर्ष 11माह 29दिन के लिये सौरभ सेवा संस्थान खानपुरग्रन्ट द्वारा गौरव सिंह पुत्र जुगुल किशोर निवासी मो0 शिवकालोनी शहर व तहसील लखीमपुर खीरी को दिया गया है, जिसमें अनापत्ति शपथपत्र एन0ओ0सी0 के रूप में गौरव सिंह पुत्र जुगुल किशोर का संलग्न है। वर्तमान में उक्त गाटाओ से संबंधित वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नही है। उक्त भूमि सुरक्षित भूमि नही है। वर्तमान में उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही ंकिया जा रहा है, जिसे व्यवसायिक प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रषित की है।

तहसीलदार मितौली की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रस्तुत वाद में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली का नियम-85(2) प्रभावी होगा। आवेदक ने कृषि प्रयोजन के अतिरिक्त भूमि प्रयोग हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का एक प्रतिशत धनराशि तथा विभाजन शुल्क सुसंगत शासकीय शीर्षकं भारतीय स्टेट बैंक में मु0 28,944रू0 जमा कर दिया गया है तथा सर्किल रेट की एक प्रतिशत की कोर्ट फीस संलग्न की है। तहसीलदार मितौली की आख्या के आधार पर भूमि स्थित ग्राम खानपुरग्रन्ट परगना औरंगाबाद की गाटा संख्या-1146/0.283हे0, 1149/0.324हे0, 1143/0.094हे0, 1151/0.190हे0 में से 0.095हे0 व 1134/0.092हे0 में से 0.046हे0 कुल रकबा 0.842हे0 भूमि को सौरभ सिंह पुत्र जुगुल किशोर निवासी चुरईपुरवा म0 भिरावाग्रन्ट बाबू रामेश्वर दयाल विश्व विद्यालय फत्तेपुर परगना औरंगाबाद हाल पता मो0 शिवकालोनी शहर व जनपद लखीमपुर खीरी के नाम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-80(2) के अंतर्गत व्यवसायिक प्रयोजन हेतु गैर कृषि प्रयोजनार्थ अकृषिक घोषित किया जाना विधि सम्मत है।

<u>आदेश</u>

अतः ग्राम खानपुरग्रन्ट परगना औरंगाबाद की गाटा संख्या-1146/0.283हे0, 1149/0.324हे0, 1143/0.094हे0, 1151/0.190हे0 में से 0.095हे0 व 1134/0.092हे0 में से 0.046हे0 कुल रकबा 0.842हे0 भूमि को सौरभ सिंह पुत्र जुगुल किशोर निवासी चुरईपुरवा म0 भिरावाग्रन्ट बाबू रामेश्वर दयाल विश्व विद्यालय फत्तेपुर परगना औरंगाबाद हाल पता मो0 शिवकालोनी शहर व जनपद लखीमपुर खीरी के नाम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-80(2) के अंतर्गत व्यवसायिक प्रयोजन हेतु गैर कृषि प्रयोजनार्थ अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक मितौली को भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखागार हो।

दिनॉक-02.06.2022

उपजिलाधिकारी मितौली
जनपद-लखीमपुर खीरी।

<u>Disclaimer :</u>

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"